

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)
(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 26/2023

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

सकील खान वगै० —बनाम— उस्मान खान वगै०

27.06.2024 .

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के द्वारा चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 15/2023 दिनांक— 17.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा— 107) धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए प्रथम पक्ष 1. सकील खान, पति— अजबुल खान, ग्राम— थाना रोड चैनपुर, 2. सद्दाम खान, पिता— फरीद खान 3. सज्जाद खान, पिता— फरीद खान 4. इस्तियाक खान, पिता— फरीद खान 5. फरदिल खान, पिता— फरीद खान 6. सरीफ खान, पिता— फरीद खान 7. जाफ़ीर खान, पिता— यासीन खान सभी ग्राम— चैनपुर, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला एवं द्वितीय पक्ष 1. उस्मान खान, पिता— हैदर खान 2. महमूद खान, पिता हैदर खान 3. अजमल खान, पिता रज्जाक खान 4. निफाज खान, पिता— रज्जाक खान 5. नजबुल्लाह खान, पिता— नेशार खान 6. मोज्जमिल खान, पिता— नेशार खान 7. बुला खान, पिता— बुटना खान 8. कलीमुल्लाह खान, पिता बुटना खान 9. अमन खान, पिता बुटना खान 10. फैयाज खान, पिता— रज्जाक खान सभी ग्राम— जमगाई, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला द्वारा मार—पीट एवं हिंसक झड़प को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, चैनपुर से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।